

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरगाबाद-431003



आई.एस.-15700 प्रमाणित IS-15700 CERTIFIED

N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003 वेबसाईट/WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in

ई-मेल/E-mail: cexauran@excise.nic.in

फोन/Phone: +91-240-2484975 फैक्स/Fax: +91-240-2483303/2476627

व्यापार सुचना सं. 07/केन्द्रीय उत्पाद/2016

विषय:- आभूषणों पर केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क का अधिरोपण - उच्च स्तरीय समिति की उपसमिति के गठन के सम्बन्ध में।

सभी व्यापार तथा उधम का ध्यान केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा श्ल्क बोर्डे नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 तथा 23 अप्रैल 2016 को फा.सं. 354/25/2016 - टी.आर.यू. के तहत जारी दोनो परिपत्र सं. 1025/13/2016 -सी.एक्स. तथा 1026/14/2016 - सी.एक्स. की ओर आकर्षित किया जाता हैं।

दिनांक 21.03.2016 को फा.सं. 354/25/2016 - टी.आर.यू. के परिपत्र सं. 1201/9/2016 - सी.एक्स. के क्रम में उपसमिति का गठन निम्नान्सार रहेगा।

- i) डॉ अशोक लाहिरी, अध्यक्ष
- ii) श्री गौतम रे. सदस्य
- ओ श्री रोहन शाह, विधि विशेषज्ञ (मैनेजिंग पार्टनर, इकोनोमिक ला प्रैक्टिस)
- iv) श्री मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (वाणिज्य विभाग)
- v) श्री आलोक श्क्ला, संयुक्त सचिव (कर संशोधन एकक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा श्ल्क, राजस्व विभाग)
- 2. उपसमिति मे व्यापार प्रतिनिधियों के नाम, उपसमिति के अध्यक्ष डॉ अशोक लाहिरी के साथ चर्चा करने के बाद निर्धारित किए जाएंगे।
- 3. उपसमिति के विचारार्थ विषय में उत्पाद श्ल्क के अन्पालन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी मामले जिसमें अभिलेखों का रखरखाव, कार्यप्रणाली तथा सम्बन्धित अन्य मामले समाविष्ट होंगे।
- 4. सभी संगठनों को उपसमिति को लिखित रुप में अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा। अखिल भारतीय संगठनों को व्यक्तिगत रुप से उनके मामलों को प्रस्त्त करना होगा।
- 5. उपरोक्त उपसमिति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का पत्राचार <u>highlevelcommittee@gmail.com</u> ई-मेल पर या डाक द्वारा एच.एल.सी. कक्ष क्रं. 215, जनपथ होटल, जनपथ मार्ग, बी.एस.एन.एल.बिल्डिंग के सामने नई दिल्ली 110001 इस पते पर किया जा सकता हैं।

- 6. ज्वैत्नर्स द्वारा स्थापित फर्म के लिए पंजीकरण की समय सीमा दिनांक 01.07.2016 तक बढा दी गई है। तथापि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देनदारी 01 मार्च 2016 से प्रभावी होगी। निर्धारिति ज्वैत्नर्स को मार्च 2016, अप्रैल 2016 तथा मई 2016 का उत्पाद शुल्क माह जून 2016 के शुल्क के साथ भुगतान करना है।
- 7. सभी व्यापार संगठन तथा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे इस व्यापार सूचना की जानकारी अपने सदस्यों के बीच प्रचारित करें।

हस्ता./ (सी. एल. महर) आयुक्त

फा.सं. वी.जी.एन(30)24/टी.सी./2010 औरंगाबाद, 8 जून, 2016

प्रति प्रेषित:

- 1. मुख्य आयुक्त, के.उ. एव. सी. शु., नागपुर प्रक्षेत्र , नागपुर ।
- 2. सभी व्यापार को कार्यालयीन डाक सूची के अनुसार ।
- 3. विभागों के सभी मंडल प्रमुख ।
- 4. संगणक अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5. नोटिस बोर्ड ।